भारत गणराज्य
और
इटली गणराज्य सरकार
के बीच
श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण करार

भारत गणराज्य की सरकार और इटली गणराज्य सरकार, जिनका उल्लेख इसके पश्चात् "पक्षकार" के रूप में किया जाएगा,

इस बात पर विचार करते हुए कि दोनों देशों के बीच श्रव्य-दृश्य संबंधों का विकास करने और विशेषकर फिल्म, टेलीविजन और दृश्य सह-निर्माणों के लिए एक ढाँचा स्थापित करना वांछनीय है;

इस तथ्य को जानते हुए कि गुणात्मक सह-निर्माणों से दोनों देशों के फिल्म, टेलीविजन और दृश्य निर्माण एवं वितरण उद्योगों के अधिक प्रसार तथा पारस्परिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक विनियमों के विकास में मदद मिल सकती है ;

इस बात से आश्वस्त होकर कि इन विनियमों से दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी ;

निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद-1

इस करार में, यदि अन्यथा करार की आवश्यकता न हो ;

(i) एक "सह-निर्माण" एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिल्म वीडियो टेप अथवा वीडियो डिस्क पर लंबाई के निरपेक्ष, फीचर फिल्म, वृत्तचित्र, विज्ञान फिल्म, एनीमेशन फिल्म और वाणिज्यिक फिल्म शामिल होगी जिसको सिनेमा में, टेलीविजन पर अथवा वीडियो रिकॉर्डर पर प्रदर्शित किया जा सकता है । इन फिल्मों को दोनों देशों के संयुक्त निवेश से और दोनों देशों के निर्माताओं द्वारा इस करार के अंतर्गत भारत और इटली के सक्षम प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त मान्यता-शर्तों के अनुसरण में बनाया जाएगा । दोनों पक्षकारों के बीच टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा मौजूदा करार में श्रव्य-दृश्य निर्माण और वितरण के नए रूपों को शामिल किया जाएगा ।

(ii) वर्तमान करार के अंतर्गत प्रारंभ की जाने वाली सह-निर्माण परियोजनाओं को निम्नलिखित प्राधिकरणों द्वारा मान्यता अवश्य प्रदान की जानी चाहिए, इसके पश्चात् इन प्राधिकरणों का उल्लेख "सक्षम प्राधिकरणों" के रूप में किया जाएगा:

(क) इटली में : सांस्कृतिक संपदा एवं कार्यकलाप मंत्रालय, मनोरंजन एवं खेलकूद विभाग, सिनेमा महाप्रबंधन द्वारा ;
और

(ख) भारत में : सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ।

(iii) इस करार की शर्तों के अंतर्गत निर्मित "सह-निर्माण" को दोनों देशों में राष्ट्रीय निर्माण माना जाएगा जिसको राष्ट्रीय निर्माण के रूप में मिलने वाले सभी लाभ उपलब्ध होंगे लेकिन इस संबंध में वितरण एवं निर्माण हेतु अनुप्रयोज्य राष्ट्रीय कानून का अनुपालन किया जाना होगा । तथापि, यह लाभ उस देश से निर्माता को प्राप्त होंगे जो कि उन्हें अनुदान देता है ।

अनुच्छेद-2

(i) दोनों देशों के सह-निर्माता, एक-दूसरे की क्षमता जिसमें उनका व्यावसायिक ज्ञान, संगठनात्मक क्षमता, वित्तीय समर्थन और व्यावसायिक प्रतिष्ठा शामिल हैं, के बारे में स्वयं निर्णय लेंगे ।

(ii) भारत और इटली की सरकारें किसी भी देश के निर्माताओं के बारे में निर्णय लेने के संबंध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे ।

अनुच्छेद-3

(i) इस करार के अंतर्गत कोई भी लाभ सह-निर्माण के लिए केवल तभी उपलब्ध होगा जबकि कुल लागत का कम से कम 20% तक, सृजनात्मक एवं अन्य सामग्री सहित वित्त, सामग्री एवं प्रबंधन निवेश किसी एक देश के सह-निर्माता द्वारा किया गया हो बशर्ते कि विशिष्ट-प्रतिशत अंशदान के बारे में स्वयं निर्माताओं के बीच निर्णय लिया जाएगा ।

(ii) उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के बावजूद, दोनों पक्षकार यथावश्यकतानुसार प्रतिशत में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए किसी भी समय लिखित में संयुक्त निर्णय ले सकते हैं ।

अनुच्छेद-4

(i) सह-निर्माण के निर्माता इटली को यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में सौंपे गए कर्तव्यों के किसी भी प्रकार के अनुपालन के अध्यधीन सह-निर्माण के निर्माता इटली या भारत के नागरिक या स्थायी निवासी होंगे ।

(ii) सह-निर्माण की सख्त जरूरत होने की स्थिति में उपरोल्लिखित नागरिक या स्थायी निवासी के अलावा व्यक्तियों को सह-निर्माण का स्वरूप खोए बिना कार्य में लगाए जाने की

अनुमति है बशर्ते ऐसे व्यक्ति को शामिल करने के कारण स्पष्ट करते हुए दोनों देशों की लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाती है ।

अनुच्छेद-5

(i) लाइव एक्शन शूटिंग और एनीमेशन वर्क जैसे कि स्टोरीबोर्ड, ले आउट, की-एनीमेशन, मध्यवर्ती प्रक्रिया और ध्वनि रिकार्डिंग को इटली या भारत में बारी-बारी से सिद्धांत रूप में निष्पादित किया जाना चाहिए ।

(ii) तथापि, सह-निर्माण में भाग न लेने वाले किसी देश के अंदर या बाहर की शूटिंग को प्राधिकृत किया जा सकता है यदि पटकथा अथवा अभिनय में ऐसी कोई अपेक्षा की गई है और इटली और भारत के तकनीशियन शूटिंग में भाग लेते हैं ।

(iii) प्रयोगशाला संबंधी कार्य इटली या भारत में किया जाएगा यदि यह तकनीकी रूप में ऐसा करना असंभव न हो, जिस मामले में सह-निर्माण में भाग न लेने वाले देश में प्रयोगशाला संबंधी कार्य को करने के लिए दोनों देशों के सक्षम प्राधिकरणों द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है ।

अनुच्छेद-6

(i) सह-निर्माण का अंग्रेजी या इतालवी या किसी अन्य भारतीय भाषा अथवा बोली में मूल साउंडट्रैक होगा जिसकी इनमें से किसी भी भाषा में डबिंग की जा सकती है ।

(ii) यदि पटकथा में ऐसा आवश्यक है तो प्राधिकरणों की अनुमति से कुछेक परिसंवादों के लिए किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया जा सकता है ।

(iii) यह आवश्यक होगा कि सह-निर्माण की डबिंग या उसके उपशीर्षक तैयार करने का कार्य भारत या इटली में किया जाएगा । भारतीय भाषाओं में डबिंग करने या उपशीर्षक तैयार करने का कार्य भारत में तथा इतालवी भाषा में डबिंग या उपशीर्षक तैयार करने का कार्य इटली में निष्पादित किया जाना चाहिए और अंग्रेजी में डबिंग करने या उपशीर्षक तैयार करने का कार्य दोनों सह-निर्माताओं के बीच हुए करार पर निर्भर करते हुए इटली या भारत में किया जा सकता है।

अनुच्छेद-7

(i) एक सह-निर्मित फिल्म में दो नेगेटिव अथवा एक नेगेटिव और एक डयूप नेगेटिव होगा या दोनों सह-निर्माताओं के बीच हुई सहमति के अनुसार होगा, साथ ही प्रतियाँ तैयार करने के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि ट्रैक होंगे । प्रत्येक सह-निर्माता के पास एक अच्छी गुणवत्ता का प्रिंट, एक डयूप पॉजिटिव और एक अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि ट्रैक होगा और उसको प्रतियाँ बनाने का अधिकार प्राप्त

होगा । इसके साथ-साथ, सह-निर्माताओं के अनुमोदन से दोनों में से कोई भी निर्माता उपरोल्लिखित सामग्री के फुटेज का प्रयोग अन्य प्रयोजन के लिए कर सकता है । इसके अलावा, प्रत्येक सह-निर्माता को दोनों सह-निर्माताओं के बीच तय की गई शर्तों के अनुसरण में मौलिक निर्माण सामग्री सुलभ होगी ।

अनुच्छेद-8

(i) इटली और भारत दोनों, प्रत्येक सह-निर्माण संविदा में निर्धारित निदेशकों, अभिनेताओं, निर्माताओं, लेखकों, तकनीशियनों तथा अन्य कार्मिकों के लिए किसी भी एक देश में प्रवेश व अल्पावास को अनुप्रयोज्य कानूनों के अनुसार सुविधाजनक बनाएंगे तथा उपस्करों का आयात भी अनुप्रयोज्य कानूनों के अनुसार किया जाएगा ।

अनुच्छेद-9

(i) सह-निर्माताओं द्वारा राजस्व की हिस्सेदारी सिद्धांत रूप में उनके संबंधित अंशदानों के अनुपात में होगी और सह-निर्माताओं के बीच हुए करार में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए । प्रत्येक सह-निर्माता के अंशदान के बारे में अनुच्छेद 3 में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर पारस्परिक निर्णय लिया जा सकता है ।

अनुच्छेद-10

(i) अल्प अंशदान वाले देश की भाषा में फिल्म के रूपांतरण के निर्माण के लिए अपेक्षित सभी सामग्री के प्राप्त होने के पश्चात् 60 (साठ) दिन के भीतर अल्प अंशदान वाला सह-निर्माता अपने अंशदान पर किसी बकाया राशि का भुगतान अधिक अंशदान वाले सह-निर्माता को करेगा । अल्प अंशदान वाले सह-निर्माता के प्रति अधिक अंशदान वाले सह-निर्माता के भी यही दायित्व होंगे ।

(ii) इस अपेक्षा को पूरा करने में विफल रहने से सह-निर्माण का लाभ नहीं मिल सकेगा । इस अपेक्षा को सह-निर्माताओं के बीच तैयार की गयी संविदा में निरपवाद रूप से परिलक्षित किया जाएगा ताकि इस करार के अंतर्गत परियोजनाओं को मान्यता प्राप्त हो सके ।

अनुच्छेद-11

दोनों देशों के सक्षम प्राधिकरणों द्वारा किसी फिल्म के सह-निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन इस प्रकार निर्मित फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में उन पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।

अनुच्छेद-12

(i) जब किसी सह-निर्मित फिल्म का निर्यात किसी ऐसे देश के लिए किया जाता है जिसकी अपनी कोटा संबंधी सीमाएं हैं :

(क) सिद्धांत रूप में, सह-निर्मित फिल्म को प्रमुख निवेश वाले देश के कोटे में शामिल किया जाएगा ;

(ख) यदि दोनों सह-निर्माताओं ने समान निवेश किया है, तो दोनों पक्षों के सह-निर्माता पारस्परिक परामर्श के जरिए उक्त कोटे के बारे में निर्णय लेंगे ताकि सह-निर्मित फिल्म को उस देश के कोटे में शामिल किया जा सके जो कि फिल्म के निर्यात के लिए बेहतर व्यवस्था कर सकता हो ;

(ग) यदि अभी भी कठिनाई होती हो, तो सह-निर्मित फिल्म को उस देश के कोटे में शामिल किया जाएगा जिसका निर्देशक एक राष्ट्रिक हो ।

(ii) उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद यदि सह-निर्माणकारी देशों में से एक देश की फिल्मों को किसी ऐसे देश में अप्रतिबंधित प्रवेश की सुविधा प्राप्त हो जिसमें कोटा संबंधी विनियम हों, तो इस करार के अंतर्गत किए गए सह-निर्माण को आयातकर्ता देश में, उस देश के किसी अन्य राष्ट्रीय निर्माण के रूप में अप्रतिबंधित प्रवेश का हक प्राप्त होगा यदि वह देश इस बात के लिए सहमत हो।

अनुच्छेद-13

(i) किसी भी सह-निर्माण को प्रदर्शित किए जाने पर अधिक अंशदान वाले सह-निर्माता के मूल अथवा सह-निर्माताओं के बीच हुए एक करार के अनुसार उसे "इटली-भारत सह-निर्माण" अथवा " भारत- इटली सह-निर्माण" के रूप में अभिज्ञात किया जाएगा ।

(ii) यह शीर्षक श्रेय-सूची, सभी वाणिज्यिक विज्ञापन और संवर्द्धनात्मक सामग्री में तथा सह-निर्माण को कभी भी दिखाए जाने पर दृष्टिगत होगा ।

अनुच्छेद-14

(i) अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रस्तुति के मामले में और यदि सह-निर्माता अन्यथा सहमत नहीं होते हैं तो एक सह-निर्माण अधिक अंशदान वाले सह-निर्माता के देश द्वारा अथवा सह-निर्माताओं की समान वित्तीय सहभागिता की स्थिति में, उस देश द्वारा किया जाएगा जिसका निर्देशक एक राष्ट्रिक है ।

(ii) चलचित्रिकीय अथवा श्रव्य-दृश्य कार्यों को प्रदत्त पुरस्कार, अनुदानों, प्रोत्साहनों और अन्य लाभों में, सह-निर्माण संविदा में निर्धारित प्रावधान के अनुसरण में तथा लागू कानून के अनुरूप, सह-निर्माताओं के बीच हिस्सेदारी की जा सकती है ।

(iii) इस करार द्वारा स्थापित मानदण्डों के अनुसार निर्मित चलचित्रिकीय और दृश्य-श्रव्य कार्यों के लिए किसी तीसरे देश द्वारा प्रदत्त माननीय विशेष उल्लेखों अथवा ट्रॉफियों जैसे ऐसे सभी पुरस्कारों को जो नकद रूप में नहीं हैं, प्रमुख सह-निर्माता द्वारा न्यास में अथवा सह-निर्माण संविदा में निर्धारित शर्तों के अनुसार रखा जाएगा ।

अनुच्छेद-15

(i) दोनों देशों के सक्षम प्राधिकरण इटली और भारत में लागू कानूनों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए सह-निर्माणों के लिए प्रक्रिया संबंधी नियमों की, बाद में टिप्पणियों के विनिमय के माध्यम से, संयुक्त रूप से स्थापना करेंगे ।

अनुच्छेद-16

(i) दोनों देशों में लागू कानून और विनियमों में उपबन्धों, इटली के मामले में यूरोपीय संघ के मानदंडों के तहत दायित्वों सहित, को छोड़कर इटली में भारतीय फिल्म, टेलीविजन और वीडियो निर्माण के आयात, वितरण और प्रदर्शन पर अथवा भारत में इतालवी फिल्म, टेलीविजन और वीडियो निर्माणों के आयात, वितरण और प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे । जहां तक इटली और यूरोपीय संघ के अन्य देशों में माल के निर्बाध रूप से परिचालन का संबंध है, यूरोपीय संघ के मानदंडों में निहित दायित्व को पूरा किया जाएगा ।

अनुच्छेद-17

(i) इस करार के कार्यान्वयन के संबंध में किसी विभेद या विवाद का समाधान आपसी परामर्श और बातचीत से किया जाएगा । यह उन सह-निर्माताओं के अधिकार को विमुक्त नहीं करता है जो कानूनी उपचारों जिनमें समामेलन, मध्यस्थता और विवाचन जैसे उपचार शामिल हो सकते हैं, की मांग करते हैं ।

(ii) इस करार से उत्पन्न होने वाले अधिकार उस तीसरे पक्षकार (रों) के मामले में लागू नहीं होंगे जो इस करार के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं ।

(iii) एक उपयुक्त संयुक्त आयोग इस करार के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकता है । सैद्धांतिक रूप से संयुक्त आयोग की एक बैठक वैकल्पिक रूप से दो देशों में प्रत्येक दो वर्ष में एक बार होगी । तथापि, यह बैठक एक अथवा दोनों प्राधिकरणों के अनुरोध पर असाधारण सत्रों में विशेष रूप से एक देश अथवा दूसरे देश में फिल्म टेलीविजन और वीडियो उद्योगों को शासित